



This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
<http://rajpatrahimachal.nic.in>

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 29 अगस्त, 2016 / 7 भाद्रपद, 1938

हिमाचल प्रदेश सरकार

उच्चतर शिक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 अगस्त, 2016

संख्या:ई0डी0एन0-(बी)-एफ-(4)-5/2014-लूज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना: तारीख 20 सितम्बर, 2010 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश, उच्चतर शिक्षा विभाग, स्तानकोत्तर अध्यापक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 का और संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, स्नातकोत्तर अध्यापक, वर्ग—III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति, (द्वितीय संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **उपाबन्ध—क का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, स्नातकोत्तर अध्यापक, वर्ग—III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 के उपाबन्ध 'क' में स्तम्भ संख्या: 7 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:—

अनिवार्य अर्हताएं :

1. **शैक्षणिक अर्हताएं :**—(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि (कम से कम संकलित पचास प्रतिशत अंकों के साथ) या इसके समतुल्य निम्नलिखित विषयों में :—

(क) स्नातकोत्तर अध्यापक (अंग्रेजी): अंग्रेजी

(ख) स्नातकोत्तर अध्यापक (हिन्दी): हिन्दी

(ग) स्नातकोत्तर अध्यापक (संस्कृत): संस्कृत

(घ) स्नातकोत्तर अध्यापक (गणित): गणित/एप्लाइड गणित

(ङ) स्नातकोत्तर अध्यापक (भौतिक शास्त्र): भौतिकी/ इलैक्ट्रोनिक्स/ न्यूक्लियर भौतिकी

(च) स्नातकोत्तर अध्यापक (रसायन शास्त्र): रसायन शास्त्र/जीव रसायन

(छ) स्नातकोत्तर अध्यापक (जीव विज्ञान): जीव विज्ञान/प्राणी विज्ञान/लाईफ माईक्रोबाईलोजी/ बायोटैक्नालॉजी/मौलैक्यूलर बायोलॉजी/प्लांट फिजियोलॉजी परन्तु स्नातक स्तर पर उन्होंने वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान का अध्ययन किया हो।

(ज) स्नातकोत्तर अध्यापक (गृह विज्ञान): गृह विज्ञान

(झ) स्नातकोत्तर अध्यापक (समाज शास्त्र): समाज शास्त्र

(ञ) स्नातकोत्तर अध्यापक (संगीत): संगीत (वाद्य/स्वर)

(ट) स्नातकोत्तर अध्यापक (इतिहास): इतिहास

(ठ) स्नातकोत्तर अध्यापक (भूगोल): भूगोल

(ड) स्नातकोत्तर अध्यापक (वाणिज्य): लेखा शास्त्र/वित्तीय लेखा शास्त्र और आयकर के मुख्य विषयों के अध्ययन के साथ वाणिज्य। एम0 एफ0 सी0 (वित्त नियन्त्रण में स्नातकोत्तर) की उपाधि रखने वाले भी वाणिज्य विषय में स्नातकोत्तर अध्यापक के पद के लिए पात्र होंगे।

(ढ) स्नातकोत्तर अध्यापक (अर्थशास्त्र):—अर्थशास्त्र/प्रायोगिक अर्थशास्त्र/बिजनैस अर्थशास्त्र.

(ण) स्नातकोत्तर अध्यापक, (राजनीति शास्त्र):— राजनीति शास्त्र

(त) स्नातकोत्तर अध्यापक (इन्फार्मैटिक्स प्रैक्टिसिज): इन्फार्मैटिक्स प्रैक्टिसिज—

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी या इसके समतुल्य में बी.ई. या बी.टैक उपाधि।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी.ई. या बी.टैक (किसी भी विद्या शाखा में) और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान/टैक्नोलॉजी/एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या इसके समतुल्य।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम0एस0 सी0 (कम्प्यूटर विज्ञान)/एम.सी.ए. या समतुल्य।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित/भौतिकी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान/एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।

या

डोएक (डी0ओ0ई0ए0सी0सी0) सोसाईटी, सूचना और संचार तकनीक मन्त्रालय से "बी" या "सी" स्तर का कोर्स।

(ख) हिमाचल प्रदेश के विद्यालयों (स्कूलों) में कम्प्यूटर अध्यापक के रूप में पढ़ाने का पांच वर्ष या अधिक का अनुभव)

(ii) हिन्दी और अंग्रेजी में अध्यापन में निपुणता।

2. व्यावसायिक अर्हता:—(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से व्यावसायिक अर्हता के रूप में कम से कम पचास प्रतिशत अंकों के साथ शिक्षा स्नातक (बी0एड0)।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से दो वर्ष का एकीकृत एम0एस0सी0एड0 कोर्स या इसके समतुल्य:

(ii) स्नातकोत्तर अध्यापक (इनफार्मेटिक प्रैक्टिसिज) को बी0एड0 में छूट होगी।

(iii) एम0काम0 अभ्यर्थियों के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा बी0काम0/एम0काम0 अभ्यर्थियों के लिए बी0एड0 डिग्री/कोर्स अनुज्ञात करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के अवसान तक बी0एड0 की अर्हता अनिवार्य नहीं होगी:

टिप्पण :-

(i) जीव विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर अध्यापक की दशा में अभ्यर्थी द्वारा वनस्पति विज्ञान/प्राणी विज्ञान/लाईफ साइंस/माइक्रो बायोलॉजी/जैव तकनीकी/मौलेक्यूलर बायोप्लांट फिजियोलॉजी में एम0एस0सी0 की स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की होनी चाहिए, परन्तु उन्होंने स्नातक स्तर तक वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान का अध्ययन किया हो।

- (ii) वाणिज्य विषय में स्नातकोत्तर अध्यापक की दशा में, अभ्यर्थी, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम0काम (वाणिज्य स्नातकोत्तर) उत्तीर्ण होना चाहिए।
- (iii) लोक प्रशासन में मास्टर उपाधि वाले अभ्यर्थी राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर अध्यापक के पद हेतु पात्र होंगे।
- (iv) विज्ञान विषयों अर्थात् भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान की दशा में, अभ्यर्थियों द्वारा नियमित अभ्यर्थियों के रूप में एम.एस.सी. की उपाधि प्राप्त की होनी चाहिए। तथापि, वह अभ्यर्थी, जिन्होंने एम0एस0सी0 की उपाधि प्राप्त कर ली है या जिन्होंने 6.04.2010 से पूर्व उन विषयों में दूरवर्ती शिक्षा माध्यम से एम.एस.सी. में प्रवेश ले लिया है, भी पात्र होंगे।
- (3) **वांछनीय अर्हताएं:**—हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव (शिक्षा)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. EDN-(B)-F(4)-5/2014-L dated 23.8.2016 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

HIGHER EDUCATION DEPARTMENT Education-B.

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 23rd August, 2016

No. EDN-(B)-F(4)-5/2014-L.—In exercise of the power conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Rules further to amend the "Himachal Pradesh, Higher Education Department **Post Graduate Teacher, Class -III** (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2010 notified vide this Department notification of even number dated 20th Sept, 2010 namely:-"

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Higher Education Department, Post Graduate Teacher, Class-III (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion (2nd Amendment) Rules, 2016.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-A.—In Annexure-A to the Himachal Pradesh Higher Education Department, Post Graduate Teacher, Class- III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2010 for the existing provisions against Col.No. 7 the following shall be substituted, namely:—

" Essential Qualification(s):

1. Academic Qualification:—(i) Master's Degree in the subject concerned from a recognized University (with minimum of 50% marks in aggregate) or its equivalent in the following subjects:—

- (a) Post Graduate Teacher (English): English.
- (b) Post Graduate Teacher (Hindi): Hindi.
- (c) Post Graduate Teacher (Sanskrit): Sanskrit.
- (d) Post Graduate Teacher (Mathematics): Mathematics/Applied Mathematics.
- (e) Post Graduate Teacher (Physics): Physics/Electronics/Nuclear Physics.
- (f) Post Graduate Teacher (Chemistry):- Chemistry/Bio-chemistry.
- (g) Post Graduate Teacher (Biology):—Biology/Zoology/life Microbiology/Bio-Technology/Molecular Biology/Plant Physiology provided they have studied Botany and Zoology at Graduation level.
- (h) Post Graduate Teacher (Home Science): Home Science
- (i) Post Graduate Teacher (Sociology): Sociology
- (j) Post Graduate Teacher (Music): Music/Instrumental/Vocal. (Instrumental /Vocal)
- (k) Post Graduate Teacher (History): History
- (l) Post Graduate Teacher (Geography): Geography.
- (m) Post Graduate Teacher (Commerce): Commerce with Accountancy/Financial Accountancy and Income Tax as major subjects of study. Holders of Degree of MFC (Master of Finance Control) are also eligible for the post of Post Graduate Teacher in Commerce.
- (n) Post Graduate Teacher (Economics): Economics/Applied Economics /Business Economics.
- (o) Post Graduate Teacher (Political Science): Political Science.
- (p) Post Graduate Teacher (Informatics Practices): Informatics Practices.
- (a) B.E or B. Tech. in Computer Science/Information Technology or equivalent degree from a recognised University/ Institute.

OR

B.E. or B. Tech (any stream) from a recognised University/ Institute and Post Graduate Diploma in Computer Science/Technology/Applications or equivalent from a recognised University/Institute.

OR

M.Sc. (Computer Science)/MCA or equivalent from a recognised University/Institute.

OR

Post Graduate Degree in Mathematics/Physics from a recognised University with Post Graduate Diploma in Computer Science /Applications from a recognized University /Institute.

OR

"B" or "C" level course from DOEACC, Society- Ministry of Information and Communication Technology.

(b) Experience of teaching of five years or more as Computer Teachers in Schools of Himachal Pradesh.

(ii) Proficiency in teaching in Hindi and English.

2. Professional Qualification :—(i) Bachelor of Education (B.Ed.) as professional qualification from recognized University/Institution with minimum 50% marks.

OR

Two years integrated M.Sc. Ed. course or an equivalent course from a recognized University.

(ii) Post Graduate Teacher (Informatics Practices) are exempted from B.Ed:

(iii) For M.Com Candidates, B.Ed. qualification will not be essential till the expiry of period of three years from the date H.P. University allows B.Com/M.com. Candidates to undertake B.Ed. Degree/Course

NOTE:—

(i) In case of Post Graduate Teacher in Biology the candidate must have qualified Post Graduate Degree of M.Sc. in Botany/Zoology/Life Science /Micro Biology/Bio-Technology/Molecular Bio Plant Physiology provided they have studied Botany and Zoology at graduation level.

(ii) In case of Post Graduate Teacher in Commerce, the candidate must have passed M.Com. from a recognized University.

(iii) The candidates having Master Degree in Public Administration are eligible for the post of Post Graduate Teacher in Political Science .

(iv) In case of Science subjects i.e. Physics, Chemistry and Biology; candidates must have obtained the degree of M.Sc. as regular candidates. However, the candidates who have obtained the degree of M.Sc. or admitted in M.Sc. through distance education mode prior to 6-4-2010 for the subjects are also eligible.

3. Desirable Qualification(s):—Knowledge of Customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh ".

By order,
Sd/-

Principal Secretary (Education).

**TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
HIMACHAL PRADESH****FORM -5****(See rule -8)****NOTICE OF PUBLICATION OF EXISTING LAND USE MAP***Shimla, the 22nd August, 2016*

No. HIM/TP/PJT/DP-Shimla/2011/Vol-XIII/13708-26.—In exercise of the powers vested under sub-section (1) of section 15 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), Notice is hereby given that the Existing Land Use Map for the areas included in the Shimla Planning Area vide Notification No. TCP-F(5)-1/2006 dated 12.01.2007 has been prepared under subsection (1) of section 15 of the Act ibid and a copy thereof is available for inspection during office hours in the following offices:—

1. The Director,
Town and Country Planning Department,
Nagar Yojana Bhawan, Block No. 32-A, Vikas Nagar,
Kasumpti, Shimla, Himachal Pradesh-171009.
2. The Chairman,
Shoghi Special Area Development Authority,
Rohaal Building Housing Board Colony, Shoghi
District Shimla, Himachal Pradesh-171219.
3. The Chairman,
Ghanahatti Special Area Development Authority,
Near Panchayat Bhawan, Ghanahatti,
District Shimla, Himachal Pradesh-171011
4. The Town and Country Planner,
Divisional Town Planning Office,
Nagar Yojana Bhawan, Block No. 32-A, Vikas Nagar,
Kasumpti, Shimla, Himachal Pradesh-171009.

If there be any objection or suggestion with respect to the Existing Land Use Map so prepared, it should be sent in writing to the Director, Town and Country Planning Department, Nagar Yojana Bhawan, Block No. 32-A, Vikas Nagar, Kasumpti, Shimla, Himachal Pradesh-171009 or to the Chairman, Shoghi Special Area Development Authority, Rohaal Building Housing Board Colony, Shoghi District Shimla, Himachal Pradesh-171219 or to the Chairman, Ghanahatti Special Area Development Authority, Near Panchayat Bhawan, Ghanahatti, District Shimla, Himachal Pradesh-171011 or to the Town and Country Planner, Divisional Town Planning Office, Nagar Yojana Bhawan, Block No. 32-A, Vikas Nagar, Kasumpti, Shimla, Himachal Pradesh-171009 within a period of thirty days from the date of publication of this Notice in the Official Gazette of Himachal Pradesh.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said Existing Land Use Map before the period specified above will be considered by the Director.

Place: Shimla

Date: 22.8.2016

Sd/-
(SANDEEP KUMAR),
Director,

Town and Country Planning Department.

INDUSTRIES DEPARTMENT
A-Section

NOTIFICATION

Shimla-2, the 26th August, 2016

No. Ind-A(B)1-1/2012.—The Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to offer appointment to the following incumbents as Sericulture Officer, Class-II (Gazetted), on contract basis in the Department of Industries, Himachal Pradesh, subject to acceptance of terms and conditions indicated below :—

Sl. No.	Name & Address of the candidate
1.	Sh. Arvind Mehta S/o Sh. Vijay Kumar Mehta, Village Kuryalkhera, PO Pirsaluhi, Tehsil Rakkar, Distt. Kangra, H.P.-177034.
2.	Sh. Vijay Chaudhary S/o Sh. Ganga Ram, Village Chunahan (Row), PO Chunahan, Tehsil Balh, Distt. Mandi, H.P.-175027.

Terms & Conditions:—

1. The appointment will be made on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.
2. The contract appointee will be paid consolidated fixed amount @ ₹16,600/- per month (in the pay band of Rs. 10300-34800+ 4200 Grade Pay). The amount shall be equal to initial of the Pay Band + Grade Pay+50% of Grade Pay. An increment @ 3% on consolidated contractual amount will be allowed if contract is extended on year to year basis. No amount will be paid for period of absence.
3. The service of the contract employee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
4. The private practice of any kind, whatsoever, is strictly prohibited.
5. The contract appointee shall not confer any right to incumbent for the regularization in service at any stage.
6. The contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 10 days medical leave and 5 days special leave. He shall not be entitled for Medical Reimbursement & LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Provided that he shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical officer, as per prevailing instructions of the Government.

Provided that the un-availed Casual Leave, Special Leave and Medical Leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

7. Un-authorized absence from duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. The contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.
8. An Officer appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
9. The Contract appointee will be entitled to TA/DA, if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officers at the minimum of Pay scale.
10. Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointee.
11. They will sign an agreement to be executed between the Contract Appointee and the Government of Himachal Pradesh before joining his duty in the Department of Industries.

The candidate will furnish written acceptance of appointment offered to them within 10 days on receipt of the appointment orders to the Principal Secretary (Industries) to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-2; failing which the offer of appointment shall be treated as cancelled.

In case of acceptance of appointment, he will submit their joining reports in the office of Section Officer, Industries-A, Room No. 215, Armsdale Building, H.P. Secretariat, Shimla, Ph. No.0177-2880436, within 10 days positively. They are also directed to bring the original testimonials, certificates etc. for checking and verification.

The posting orders are being issued separately.

By order,
Sd/-
Principal Secretary (Inds.).

हिमाचल प्रदेश विधान सभा

अधिसूचना

शिमला-171004, 27 अगस्त, 2016

सं०वि०स०-विधायन-प्रा०/१-१/२०१३.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा २७ अगस्त, २०१६ का सम्पन्न हुई बैठक की समाप्ति पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई ।

सुन्दर सिंह वर्मा,
सचिव,
हि० प्रा० विधान सभा ।

HIMACHAL PRADESH TWELFTH VIDHAN SABHA**NOTIFICATION***Shimla-171004, the 27th August, 2016*

No. V.S.-Legn.-Pri/1-1/2013.—The Himachal Pradesh Legislative Assembly adjourned sine-die with effect from the close of its sitting held on 27th August, 2016.

(SUNDER SINGH VERMA)

*Secretary,
H.P. Vidhan Sabha.*

ADMINISTRATIVE REFORMS ORGANIZATION**NOTIFICATION***Shimla-2, the 22nd August, 2016*

No. Per (AR) F (7)-2/98-Vol-III-Loose.—In pursuance of Section 15 (3) of the Right to Information Act, 2005 the Governor of Himachal Pradesh is pleased to constitute a Committee consisting of the following:—

- | | |
|--|----------|
| (i) Shri Virbhadra Singh
Hon'ble Chief Minister. | Chairman |
| (ii) Shri Prem Kumar Dhumal
Hon'ble Leader of the Opposition. | Member |
| (iii) Smt. Vidya Stokes
Hon'ble Irrigation and Public Health
Minister. | Member |

2. The aforesaid Committee will consider and recommend the name of the State Chief Information Commissioner to operationalise the State Information Commission as envisaged in the Act *ibid*.

By order
Sd/-
Chief Secretary.

REVENUE DEPARTMENT**NOTIFICATION***Shimla -2, the 22nd August, 2016*

No. Rev. C (B) 4-1/2016.—In exercise of the powers conferred by sub-Section (1) of Section 83 of the Wakf Act, 1995(No. 43 of 1995), read with the letter No. HHC/GAZ/14-234/98-

21015, dated 11th August, 2016 from Registrar General High Court of Himachal Pradesh, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that Sh. Mukesh Bansal, presently posted as President, Consumer Disputes Redressal Forum, Dharamshala shall hold the additional charge of the Chairman, State Waqf Tribunal at Dharamshala with immediate effect in public interest till further orders.

The Governor Himachal Pradesh is further pleased to issue order of repatriation of Shri Dole Ram Thakur.

By order,
(TARUN SHRIDHAR),
Addl. Chief Secretary (Revenue).

HIMACHAL PRADESH WAKF BOARD
Elgin Villa, Lakkar Bazar, Shimla

NOTIFICATION

Shimla, the 14th June, 2016

No. HPWB/GN/564/2016.—In exercise of the powers conferred under section 56 of the Waqf Act, 1995 as amended and Waqf Properties Lease Rules, 2014, the following Schedule Rates for leasing out the waqf properties within Himachal Pradesh has been approved by the Board *vide* item no. 2 in its meeting held on 24-02-2016. These rates shall be effective from 01-04-2016.

FIXATION OF SCHEDULE RATES FOR LEASING OUT URBAN & RURAL WAQF PROPERTIES IN HIMACHAL PRADESH

The waqf properties in Himachal Pradesh are categorized as under:—

1. A Class Shimla, Solan, Baddi, Barotiwala & Nalagarh (BBN), Dharampur (NH only), Dharamshala (Kotwali Bazar only)
2. B Class All other cities/towns/circles falls in B Class

Rates for A Class Cities (SHIMLA)

Sr. No	Location	Rent P.M. Per Sq. Meter for Residence	Rent P.M. Per Sq. Met for Commercial	Remarks
1.	Eidgah Below Cart Road	Plot.....10/- Building etc. 15/-	Plot.....20/- Shop etc.....25/-	Due to slum, Rates at lower side
2.	Elgin Villa Lakkar Bazar	Plot.....30/- Building etc. 45/-	Plot.....50/- Shop etc.....75/-	
3.	Lower Bazar	Plot.....45/- Building etc. 50/-	Plot.....75/- Shop etc.....140/-	
4.	Middle Bazar	Plot.....45/- Building etc. 50/-	Plot.....60/- Shop etc.....90/-	

5.	Ganj Bazar	Plot.....30/- Building etc. 45/-	Plot.....50/- Shop etc.....75/-	
6.	Mall Road	Plot.....100/- Building etc. 125/-	Plot.....150/ Shop etc.....350/-	
7.	Kamla Nehru Hospital	Plot.....25/- Building etc. 45/-	Plot.....40/- Shop etc.....60/-	
8.	Chhota Shimla	Plot.....25/- Building etc. 45/-	Plot.....40/- Shop etc.....60/-	
9.	Kasumpti	Plot.....20/- Building etc. 25/-	Plot.....30/- Shop etc.....45/-	
10.	Sanjouli	Plot.....30/- Building etc. 30/-	Plot.....50/- Shop etc.....60/-	
11.	Boileauganj	Plot.....30/- Building etc. 45/-	Plot.....50/- Shop etc.....70/-	
12.	Jatogh Cantt.	Plot.....15/- Building etc. 20/-	Plot.....25/- Shop etc.....35/-	

Rates for A Class Cities (SOLAN)

Sr. No	Location	Rent P.M. Per Sq. Meter for Residence	Rent P.M. Per Sq. Meter for Commercial	Remarks
1.	Solan	Plot.....35/- Building etc. 50/-	Plot.....50/- Shop etc..... 125/-	

Rates for A Class Cities SOLAN (Dharampur NH only)

Sr. No	Location	Rent P.M. Per Sq. Meter for Residence	Rent P.M. Per Sq. Meter for Commercial	Remarks
1.	Dharampur (NH only)	Plot.....40/- Building etc. 50/-	Plot.....60/- Shop etc.....100/-	

Rates for A Class Cities BBN District Solan

Sr. No	Location	Rent P.M. Per Sq. Meter for Residence	Rent P.M. Per Sq. Meter for Commercial	Remarks
1.	Baddi, Barotiwala, Nalagarh (BBN)	Plot.....45/- Building etc.....50/-	Plot.....75/- Shop etc.....125/-	

Rates for A Class Cities DHARAMSHALA (Kotwali Bazar only)

Sr. No	Location	Rent P.M. Per Sq. Meter for Residence	Rent P.M. Per Sq. Meter for Commercial	Remarks
1.	Kotwali Bazar	Plot.....45/- Building etc. 50/-	Plot.....75/- Shop etc.....125/-	

Rates for B Class Cities/towns/circle Dharamshala Circle

Sr. No.	Location	Rent P.M. Per Sq. Meter for Residence	Rent P.M. Per Sq. Meter for Commercial	Remarks
1.	Gurdawara RoadD/Shala	Plot.....30/- Building etc. 45/-	Plot.....65/- Shop etc.....70/-	
2.	Kachehri Adda D/Shala	Plot.....25/- Building etc. 40/-	Plot.....75/- Shop etc.....125/-	
3.	Civil Station D/Shala	Plot.....25/- Building etc. 35/-	Plot.....60/- Shop etc.....75/-	
4.	McLeodganj D/Shala	Plot.....30/- Building etc. 40/-	Plot.....80/- Shop etc.....110/-	
5.	Forestganj D/Shala	Plot.....20/- Building etc. 35/-	Plot.....35/- Shop etc.....45/-	
6.	Ram Nagar D/Shala	Plot.....25/- Building etc. 35/-	Plot.....60/- Shop etc.....75/-	
7.	Sakoh D/Shala	Plot.....25/- Building etc. 35/-	Plot.....45/- Shop etc.....55/-	
8.	Dari Gablidhar D/Shala	Plot.....25/- Building etc. 35/-	Plot.....60/- Shop etc.....75/-	
9.	Main Bazar Kangra	Plot.....35/- Building etc.....45/-	Plot.....80/- Shop etc.....110/-	
10.	Tehsil Chowk Kangra	Plot.....35/- Building etc. 45/-	Plot.....80/- Shop etc.....110/-	
11.	Gupt Ganga Kangra	Plot.....25/- Building etc. 35/-	Plot.....60/- Shop etc.....75/-	
12.	Purana Kangra	Plot.....25/- Building etc. 35/-	Plot.....60/- Shop etc.....75/-	
13.	Seholpuri Shahpur Kangra	Plot.....25/- Building etc. 35/-	Plot.....60/- Shop etc.....75/-	
14.	Palampur Kangra	Plot.....35/- Building etc. 45/-	Plot.....80/- Shop etc.....130/-	
15.	Nurpur Kangra	Plot.....35/- Building etc. 45/-	Plot.....60/- Shop etc.....75/-	
16.	Sirat/Indora Kangra	Plot.....30/- Building etc. 40/-	Plot.....55/- Shop etc.....65/-	
17.	Sadar Bazar, Dalhousie	Plot.....30/- Building etc. 40/-	Plot.....60/- Shop etc.....75/-	
18.	Baloon Bazar, Dalhousie	Plot.....30/- Building etc. 40/-	Plot.....60/- Shop etc.....75/-	
19.	Mangwain Mandi	Plot.....30/- Building etc. 40/-	Plot.....75/- Shop etc.....125/-	
20.	Bhuntar , Kullu	Plot.....30/- Building etc. 40/-	Plot.....60/- Shop etc.....75/-	

21.	Akhara Bazar, Kullu	Plot.....35/- Building etc. 45/-	Plot.....80/- Shop etc.....130/-	
-----	------------------------	---	-------------------------------------	--

Rates for B Class Cities/towns/circle (Rest of the area of Class A City)

1. Plot on road head or NH or in market for residential purpose.....Rent will be 35/- per sq. meter P.M.
2. Plot on road head or NH or in market for shop/commercial purpose....Rent will be 45/- per sq. meter P.M.
3. Building/room/set on road head or NH or in market for residential purpose.....Rent will be 55/- per sq. meter P.M.
4. Shop/godown/hall etc. on road head or NH or in market for commercial purpose.....Rent will be 70/- per sq. meter P.M.
5. Plot on road head or NH or in market for Institution/Hospital/Education purpose.....Rent will be 45/- per sq. meter P.M.
6. Plot at the distance of 50 meters from the road for residential purpose.....Rent will be 25/- per sq. meters P.M.
7. Building/room/set at the distance of 50 meters from the road for residential purpose.....Rent will be 30/- per sq. meters P.M.
8. Plot at the distance beyond 50 meters from NH or in Mohalla for residential purpose Rent will be 20/- per sq. meters P.M.
9. Building/room/set at the distance beyond 50 meters or in Mohalla for residential purpose.....Rent will be 30/- per sq. meters P.M.

Rates for Rural areas/village

1. Plot on road head or NH for residential purpose...Rent will be 20/- per sq. meter P.M.
2. Building/room/set on road head or NH for residential purpose.....Rent will be 25/- per sq. meters P.M.
3. Plot on road head or NH for shop/commercial purpose...Rent will be 30/- per sq. meter P.M.
4. Shop/godown/hall etc. on road head or NH for commercial purpose.....Rent will be 35/- per sq. meter P.M.
5. Plot at the distance of 50 meters from the road for residential purpose.... Rent will be 20/- per sq. meters P.M.
6. Building/room/set at the distance of 50 meters from the road for residential purpose.....Rent will be 25/- per sq. meters P.M.

7. Plot at the distance beyond 50 meters or in village..... Rent will be 15/- per sq. meters P.M.
8. Building/room/set at the distance beyond 50 meters or in Mohalla for residential purpose.....Rent will be 30/- per sq. meters P.M.
9. Remote Area.....Rent will be 15/- Per Sq. Meters P.M. for plot and 20/- Per Sq. Meters P.M. for building/room etc. for residential purpose
10. Remote Area.M. for shop etc. for commercial purpose.....Rent will be Rs. 25/- Per Sq. Meters P.M. for plot and 30/- Per Sq. Meters P
11. Agriculture land Lease/patta/license will be as under:—

Irrigated Land Per	Barani Land Per Kanal	Banjar Kadeem Per Kanal
Rs.700/- Per Annum	Rs.500/- Per Annum	Rs. 300/- Per Annum

****Plot/Property (Building) required for Industrial/Hotel purpose/Commercial Complex/Mall etc. Rent will be settled & fixed as per market value of the property and strictly in accordance with the provisions of the Waqf Properties Lease Rules, 2014.*

Note:— As far as the old tenants are concerned, the rent shall be fixed after mutual discussion, negotiation and settlement by both the parties as per above schedule rates other than encroachment, sub-let and transfer cases.

(A. P. SIDDIQUI),
IPS
Chief Executive Officer
HP Wakf Board, Shimla.

भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 अगस्त, 2016

संख्या:—एल.सी.डी.—ए (4)—8/2010.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या एल.सी.डी ए (4)—8/2010 दिनांक 26-4-2013 को निरस्त करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश श्री रेणुका विकास बोर्ड, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के पुर्न-गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। बोर्ड का गठन रेणुका तीर्थ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के आगामी विकास, रख-रखाव तथा समुचित प्रबन्ध के लिए किया जाता है तथा उक्त बोर्ड में निम्नलिखित सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्य मनोनीत किए जाते हैं: —

सरकारी सदस्य

1. श्री विनय कुमार, माननीय मुख्य संसदीय सचिव (लो0नि0वि0)
हिमाचल प्रदेश एवं विधायक श्री रेणुका जी निर्वाचन क्षेत्र,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

अध्यक्ष

2. उपायुक्त, जिला सिरमौर स्थित नाहन	उपाध्यक्ष
3. पुलिस अधीक्षक, जिला सिरमौर स्थित नाहन	सदस्य
4. निदेशक, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन हि0प्र0 के प्रतिनिधि	सदस्य
5. उप-मण्डल अधिकारी (ना0) नाहन	सदस्य सचिव
6. सदस्य सचिव, हि0प्र0 विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद शिमला, हि0प्र0।	सदस्य
7. आदेशक, गृह रक्षक, जिला सिरमौर स्थित नाहन	सदस्य
8. अधीक्षण अभियंता, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, नाहन	सदस्य
9. अधीक्षण अभियंता, हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग, नाहन	सदस्य
10. अधीक्षण अभियंता, हि0प्र0 विद्युत बोर्ड, नाहन	सदस्य
11. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन	सदस्य
12. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, जिला सिरमौर स्थित नाहन	सदस्य
13. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन	सदस्य
14. जिला नियंत्रक, खाद्य आपूर्ति नियंत्रक एवं उपभोक्ता मामले, नाहन	सदस्य
15. सहायक आयुक्त, आबकारी एवं कराधान विभाग, जिला सिरमौर स्थित नाहन।	सदस्य
16. जिला भाषा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन	सदस्य
17. वन मण्डल अधिकारी, श्री रेणुका मण्डल, श्री रेणुका जी	सदस्य
18. वन मण्डल अधिकारी, वन्य प्राणी, शिमला	सदस्य
19. अधिशासी अभियंता, रेणुका बांध परियोजना अन्वेषण	सदस्य
20. तहसीलदार, ददाहू	सदस्य
गैर सरकारी सदस्य	
1. श्री गंगू राम मुसाफिर, माननीय उपाध्यक्ष, योजना बोर्ड हि0प्र0 सरकार गांव दिलमन, डा0 कुपवी, तहसील पच्छाद (सराहां) जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।	सदस्य
2. श्री हर्ष वर्धन चौहान, माननीय अध्यक्ष राज्य स्तरीय समिति, रोजगार सृजन एवं संसाधन विकास, माल रोड, नाहन।	सदस्य
3. श्री कुश परमार, भूतपूर्व विधायक, गौतम निवास, नाहन	सदस्य

4.	श्री अजय बहादुर सिंह, माननीय अध्यक्ष हिमफैड, हि0प्र0 रन्जौर पैलेस, दि माल नाहन, जिला सिरमौर।	सदस्य
5.	श्री यशपाल चौहान, सुपुत्र श्री गंगा राम, तहसील नौहराधार जिला सिरमौर।	सदस्य
6.	श्री तपेन्द्र सिंह चौहान, सुपुत्र श्री यशवंत सिंह, गां0 व डा0 संगडाह, जिला सिरमौर।	सदस्य
7.	श्री मित्तर सिंह तोमर, सुपुत्र श्री चन्दन सिंह, गां0 व डा0 कोटी धीमान, तहसील रेणुकाजी, सिरमौर।	सदस्य
8.	श्री इन्द्र सिंह, सुपुत्र श्री बाली राम, गां0 खाला क्यार, डा0 जमुकोटी, सिरमौर।	सदस्य
9.	श्री मुलतान सिंह ठाकुर, सुपुत्र श्री रण सिंह गां0 धलजा, डा0 जामू-कोटी, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर।	सदस्य
10.	श्री भरत सिंह ठाकुर, सुपुत्र श्री जीत सिंह, गां0 खाला-क्यार डा0 जामु कोटी, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर।	सदस्य
11.	श्री रणदीप सिंह, सुपुत्र श्री हीरा सिंह, गां0 बडोन, डा0 ददाहू तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर।	सदस्य
12.	श्री जयपाल ठाकुर, सुपुत्र श्री हीरा सिंह, गां0 बडोन, डा0 ददाहू तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर।	सदस्य
13.	श्री मोहन सिंह, सुपुत्र श्री देवी राम, गां0 बडोल, डा0 कोरग तहसील रेणुकाजी।	सदस्य
14.	श्री सत्याराम चौहान, सुपुत्र स्व0 श्री मोहन सिंह, गां0 चबाहां डा0 जमटा, तहसील नाहन जिला सिरमौर।	सदस्य
15.	श्री अमर सिंह कपूर, गां0 व डा0 कोडगा, तहसील कपरउ, जिला सिरमौर।	सदस्य
16.	श्री रतज सिंह चौहान, गां0 व डा0 काण्डो भटनोल, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर।	सदस्य
17.	श्रीमती श्यामा ठाकुर, पत्नी श्री प्रेम पाल, गां0 खैना-कटाह, डा0 ददाहू, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर।	सदस्य
18.	श्री हरदेव राणा, सुपुत्र श्रीकुन्दन सिंह, गां0 बडवा, डा0 कोरग तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर।	सदस्य
19.	श्री सतीश्वर शर्मा, सुपुत्र श्री जगमोहन, गां0 चमियाना, डा0 पनार, तहसील नाहन, जिला सिरमौर।	सदस्य
20.	श्री रवीन्द्र कुमार गुप्ता, सुपुत्र श्री पूर्ण चंद, गां0 व डा0 ददाहू तहसील नाहन, जिला सिरमौर।	सदस्य

21.	श्री मोहन लाल आजाद, सुपुत्र श्री बीर सिंह, गां० सिंयू डा० संगडाह, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर।	सदस्य
22.	श्री तारा दत्त, सुपुत्र श्री मोती राम, गां० व डा० बिरला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर।	सदस्य
23.	श्री ओमी चन्द, सुपुत्र श्री सालिग राम, गां० व डा० भवाई तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर।	सदस्य
24.	श्री सत्यानन्द भारद्वाज, सुपुत्र श्री ज्ञान चंद, गां० टिक्करी डा० संगडाह, जिला सिरमौर।	सदस्य
25.	श्री बाबू राम, सुपुत्र श्री लच्छी राम, गां० डीड-पनर, डा० पनर तहसील नाहन, जिला सिरमौर।	सदस्य
26.	श्री रामरतन ठाकुर, सुपुत्र श्री सोहन सिंह, गां० बनेठी, डा० पंजाहल तहसील नाहन, जिला सिरमौर।	सदस्य
27.	श्री निशी कांत, सुपुत्र श्री रामलाल, गां० अम्बोया डा० व तहसील पांवटा, जिला सिरमौर।	सदस्य
28.	श्री प्रेम पाल, सुपुत्र श्री जगमोहन, गां० छछेती तहसील पांवटा, जिला सिरमौर।	सदस्य
29.	श्री सुनील शर्मा, सुपुत्र श्री सोमदत्त, गां० व डा० राजगढ जिला सिरमौर।	सदस्य
30.	श्रीमति सुभद्रा अत्री, पत्नी श्री जीवन सिंह, गां० व डा० बोगधार, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर।	सदस्य
31.	श्री इन्द्र प्रकाश गोयल, सुपुत्र स्व श्री ओम प्रकाश, गां० व डा० ददाहू, जिला सिरमौर।	सदस्य
32.	श्री सोमनाथ शर्मा, सुपुत्र श्री सुखदर्शन लाल, निवासी पांवटा साहिब, जिला सिरमौर।	सदस्य
33.	श्री विजय पाल पुण्डीर, गां० देवनानामल, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर।	सदस्य
34.	श्री कुशल सिंह तोमर, गां० व डा० रजाना, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर।	सदस्य
35.	श्री आत्मा राम कमल, गां० व डा० बोगधार, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर।	सदस्य
36.	श्री हरीराम, सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार, गां० व डा० ददाहू सदस्य जिला सिरमौर।	सदस्य
37.	श्री दोलत राम शास्त्री, गां० व डा० ददाहू, जिला सिरमौर	सदस्य
38.	डा० वेद प्रकाश, गां० व डा० ददाहू, जिला सिरमौर	सदस्य

2. उक्त गठित बोर्ड का कार्यकाल गठन होने की तारीख से तीन वर्ष का होगा तथा यह बोर्ड हर छः मास बाद बैठक करेगा।
3. उक्त बोर्ड अपने कार्यकाल के दौरान अनुबंध— “क” में वर्णित कार्य करेगा।
4. गैर सरकारी सदस्यों का यात्रा भत्ता उक्त बोर्ड द्वारा वहन किया जाएगा।

आदेश द्वारा,
(अनुराधा ठाकुर),
सचिव (भाषा एवं संस्कृति)।

अनुबन्ध – “क”

श्री रेणुका विकास बोर्ड, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश अपने कार्यकाल के दौरान निम्न कार्य करेंगे:—

1. रेणुका तीर्थ को पर्यटन विकास की दृष्टि से विकसित करना।
2. रेणुका तीर्थ के भू-दृश्य सहित मन्दिर का जीर्णोद्धार, रेणुका झील, परशुराम ताल तथा देव स्थलों आदि की मुरम्मत और विकास पूर्ण रूप से करने हेतु प्रावधान करना।
3. इस क्षेत्र में यात्रियों हेतु यात्री भवन, शालाओं तथा कुटियों का निर्माण और पर्यटन का विकास करना।
4. बोर्ड के अधीन सभी पवित्र संस्थानों जैसे रेणुका झील, परशुराम ताल, मेला ग्राउंड और देव स्थल आदि के सौंदर्यकरण हेतु रख-रखाव रखना।
5. रेणुका मेला और अन्य उत्सवों जैसे परशुराम जयन्ती आदि के समारोहों का आयोजन।
6. रेणुका तीर्थ के आस-पास पूर्व निर्मित मंदिरों/बनाए जाने वाले मंदिरों का प्रबंध करना।
7. बोर्ड के कार्यों के संचालन हेतु नियम तथा उप नियम बनाना और सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात समय-समय पर उनमें नए नियम/उप नियम शामिल करना तथा संशोधन करना।
8. बोर्ड के लेखों का ठीक प्रकार से हिसाब अन्य सम्बन्धित अभिलेखों के साथ करना।
9. बोर्ड के लिए कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति करना और कर्मचारी वर्ग को वेतन, मानदेय आदि प्रदान करना।

**In the Court of Ms. Kritika Kulhari, IAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Hamirpur (Himachal Pradesh)**

In the matter of :

1. Shourya Zar aged 30 years s/o Shri Rajendra Zar, r/o House No. 141, Ward No. 5, Partap Gali, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).

2. Nidhi Sharma aged 24 years d/o Shri Lekh Ram Sharma, r/o Ward No. 5, Village Dadhol Kalan, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.) . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Notice of the Intended Marriage.

Shourya Zar and Nidhi Sharma have filed an application under Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavit and other documents in the court of undersigned in which they stated that they intend to solemnize marriage within three calendar months.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any person who has any objection for this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 14-09-16. The objection received after 14-09-16 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 10-08-2016 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Hamirpur, (H.P.).*

ब अदालत श्री जोगिन्दर पटियाल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी,
जिला हमीरपुर, हि० प्र०

मिसल नं० : 27/2016

तारीख दायर : 29-7-2016

उनवान.—श्री गलेल चन्द पुत्र श्री भज राम, गांव छम्ब, डा० ककड, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि० प्र०।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराये दर्ज करने अन्तर्गत धारा 37(2) अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री गलेल चन्द पुत्र श्री भज राम, गांव छम्ब, डा० ककड, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि० प्र० ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड में दिले राम दर्ज है जबकि ग्राम पंचायत ककड, उपभोक्ता कार्ड में उसका नाम गलेल चन्द दर्ज है और वह राजस्व रिकार्ड में उसकी दुरुस्ती करवा कर अपना नाम दिले राम के स्थान पर गलेल चन्द दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इशतहार राजपत्र के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम के बारे में किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 13-09-2016 को सुबह 11.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। आम जनता की ओर से कोई हाजिर न होने की कारण आम जनता के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 10-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

जोगिन्दर पटियाल,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

ब अदालत श्री सुरेश पटियाल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी,
जिला हमीरपुर, हि0 प्र0

मिसल नं0 : 26/2016

तारीख दायर : 4-3-2016

उनवान.—श्री पृथी सिंह पुत्र श्री नेगी राम, गांव तरोटा, डा0 ककड, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय:—प्रार्थना—पत्र बराये दर्ज करने मृत्यु अन्तर्गत धारा 13(3) अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री पृथी सिंह पुत्र श्री नेगी राम, गांव तरोटा, डा0 ककड, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना—पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसके पुत्र की मृत्यु दिनांक 28-03-2015 को एक दुर्घटना में हो चुकी है परन्तु उसकी मृत्यु का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत ककड में दर्ज नहीं हुआ है जिसे प्रार्थी पंचायत के दर्ज रिकार्ड जन्म पैदाईश एवं मृत्यु में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इशतहार राजपत्र के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त मृत्यु के बारे में किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 13-09-2016 को सुबह 11.00 बजे अदालतन/वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। आम जनता की ओर से कोई हाजिर न होने की कारण आम जनता के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 09-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

जोगिन्दर पटियाल,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

ब अदालत श्रीमती नीरजा शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0

श्री शिवरु उराव पुत्र बिशु उराव, गांव कोराजम टोली, तहसील व जिला धुमला, हाल निवासी कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता ग्राम कल्पा

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री शिवरु उराव ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है कि उनके पुत्र सुमित का जन्म 11-03-2006 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत कल्पा में दर्ज नहीं किया गया है को अब दर्ज करने बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत कल्पा के रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 13-09-2016 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत कल्पा को उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी कर दिया गया।

मोहर।

नीरजा शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कल्पा जिला किन्नौर, हि0 प्र0।

ब अदालत श्रीमती नीरजा शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0

श्री बीर बहादुर पुत्र खडक बहादुर, गांव निवासी कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता ग्राम कल्पा

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री बीर बहादुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश किया है कि उनके पुत्र सूरज का जन्म 04-02-2005 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत कल्पा में दर्ज नहीं किया गया है को अब दर्ज करने बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत कल्पा के रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 13-09-2016 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत कल्पा को उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी कर दिया गया।

मोहर।

नीरजा शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कल्पा जिला किन्नौर, हि0 प्र0।

ब अदालत श्रीमती नीरजा शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0

श्रीमती जानकी खत्री पत्नी मोहन बहादुर खत्री, निवासी गांव व डा0 तातोपानी, तहसील जुमला, करनाली ऑचल, नेपाल, हाल निवासी गांव कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता ग्राम कल्पा

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती जानकी खत्री ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश किया है कि उनके पुत्र महेश खत्री का जन्म 05-07-2003 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत कल्पा में दर्ज नहीं किया गया है को अब दर्ज करने बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत कल्पा के रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 13-09-2016 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत कल्पा को उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी कर दिया गया।

मोहर।

नीरजा शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कल्पा जिला किन्नौर, हि0 प्र0।

ब अदालत श्रीमती नीरजा शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0

श्री मोहन लाल पुत्र मान बहादुर, निवासी गांव कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता ग्राम कल्पा

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री मोहन लाल ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश किया है कि उनकी पुत्री सिया का जन्म 16-08-2004 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत कल्पा में दर्ज नहीं किया गया है को अब दर्ज करने बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत कल्पा के रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 13-09-2016 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत कल्पा को उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी कर दिया गया।

मोहर।

नीरजा शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कल्पा जिला किन्नौर, हि0 प्र0।

ब अदालत श्रीमती नीरजा शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0

श्री भगवान दास पुत्र इन्द्र सिंह, निवासी गांव कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता ग्राम कल्पा

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री भगवान दास ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश किया है कि उनके बच्चों नवीन नेगी, अविनाश नेगी व गौरव नेगी का जन्म 09-03-1984, 25-02-1986 व 20-04-1987 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत कल्पा में दर्ज नहीं किया गया है को अब दर्ज करने बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथियां ग्राम पंचायत कल्पा के रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 13-09-2016 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत कल्पा को उक्त जन्म तिथियां दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी कर दिया गया।

मोहर।

नीरजा शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कल्पा जिला किन्नौर, हि0 प्र0।

ब अदालत श्रीमती नीरजा शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0

श्रीमती भजन देवी पत्नी श्री चन्द्र भगत, निवासी गांव कोठी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता ग्राम कोठी

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती भजन देवी ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश किया है कि उनके पुत्र वरदान मेहता का जन्म 19-04-2005 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत काठी में दर्ज नहीं किया गया है को अब दर्ज करने बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोठी के रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 13-09-2016 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत कोठी को उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी कर दिया गया।

मोहर।

नीरजा शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कल्या जिला किन्नौर, हि0 प्र0।

ब अदालत श्रीमती नीरजा शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्या, जिला किन्नौर, हि0 प्र0

श्रीमती चिमला देवी पत्नी श्री राम कृष्ण, निवासी गांव खवांगी तहसील कल्या, जिला किन्नौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता ग्राम खवांगी

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती चिमला देवी ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश किया है कि उनके बच्चों प्रवीण कुमार व प्रिया नेगी का जन्म 05-03-1989 व 16-10-1991 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत खवांगी में दर्ज नहीं किया गया है को अब दर्ज करने बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत खवांगी के रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 13-09-2016 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत खवांगी को उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी कर दिया गया।

मोहर।

नीरजा शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कल्या जिला किन्नौर, हि0 प्र0।

ब अदालत श्री कांशी राम, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी/कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज,
जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्री धर्म सिंह आयु 34 साल पुत्र श्री डावे राम, निवासी गांव देवीधार, डा0 वनोगी, उप-तहसील सैंज,
जिला कुल्लू, हि0 प्र0 प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.—ग्राम पंचायत रिकार्ड में पुत्र का नाम दर्ज करने बारे।

सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि श्री धर्म सिंह पुत्र श्री डावे राम, निवासी गांव देवीधार, डा0 वनोगी, उप-तहसील सैज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक दरखास्त गुजारी है कि उसके पुत्र का नाम ग्राम पंचायत वनोगी के जन्म रजिस्टर में नन्द लाल आयु 8 साल पुत्र श्री धर्मदास दर्ज है जोकि गलत है। जबकि प्रार्थी के पुत्र के आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में पुत्र का नाम अमित पुत्र धर्म सिंह दर्ज है जोकि सही है। जिसे दुरुस्त करने बारे दिया गया शपथ-पत्र भी संलग्न है ग्राम पंचायत वनोगी के रिकार्ड में इसके पुत्र का नाम नन्द लाल पुत्र धर्म सिंह के स्थान पर नंद लाल उर्फ अमित पुत्र धर्म सिंह दर्ज किया जावे।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो वह असालतन व वकालतन अपनी आपत्ति इस न्यायालय में दिनांक 25-9-2016 को या इससे पूर्व प्रस्तुत कर सकता है। अन्यथा इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत रिकार्ड में करवा दिया जाएगा।

आज दिनांक 6-8-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी/कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील सैज, जिला कुल्लू।

ब अदालत श्री विवेक नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

नं0 मुकद्दमा : 09/2016

तारीख दायर : 28-04-2016

1. कुमारी मधुमति पुत्री स्व0 श्री हरी कृष्ण, निवासी गांव व डा0 बौण्डा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
2. श्रीमती धर्म दासी पत्नी स्व0 श्री हरी कृष्ण, निवासी गांव व डा0 बौण्डा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . वादीगण।

बनाम

1. श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री कौडा, गांव व डा0 बौण्डा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)
2. श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री बोहरु राम, गांव व डा0 बौण्डा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
3. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री बोहरु राम, गांव व डा0 बौण्डा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
4. श्री राज कुमार पुत्र श्री बोहरु राम, गांव व डा0 बौण्डा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
5. श्रीमती सन्तोष देवी पुत्री श्री बोहरु राम, गांव व डा0 बौण्डा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
6. श्रीमती मीरा देवी पुत्री श्री बोहरु राम, गांव व डा0 बौण्डा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

7. श्रीमती सुषमा देवी पुत्री श्री बोहरु राम, गांव व डा0 बौण्डा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
8. श्रीमती गीता देवी पत्नी स्व0 श्री बोहरु राम, गांव व डा0 बौण्डा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
9. श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री हरी कृष्ण, गांव व डा0 बौण्डा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
10. श्रीमती यंगचन पुत्री श्री हरी कृष्ण, गांव व डा0 बौण्डा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) प्रतिवादी।

दरखास्त दुरुस्ती ईन्द्राज अराजी खाता/खतौनी नं0 194/584, खसरा नं0 656, रकबा तादादी 00-03-90 है0, वाका चक बौण्डा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरखास्त कुमारी मधुमति पुत्री व श्रीमती धर्मदासी पत्नी स्व0 श्री हरी कृष्ण, निवासी गांव व डा0 बौण्डा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि अराजी खाता/खतौनी नं0 194/584, खसरा नं0 656, रकबा तादादी 00-03-90 है0, वाका चक बौण्डा का कब्जा मौका प्रार्थीगण का विला किसी रोक टोक के अरसा देरिना से बहैसियत मालिक चला आ रहा है। परन्तु कागजात माल के खाना काशत में बतौर दावेदारी बै प्रतिवादी नं0 1 प्रकाश चन्द का दर्ज है। प्रार्थीगण अराजी उपरोक्त के खाना काशत में अपना व लक्ष्मण सिंह, कुमारी यंगचन का कब्जा दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रतिवादीगण 1 ता 8 या अन्य किसी व्यक्ति को उपरोक्त अराजी के खाना काशत में वादीगण व लक्ष्मण सिंह पुत्र व कुमारी यंगचन पुत्र हरी कृष्ण का कब्जा दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 21-09-2016 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बादगुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम उपरोक्त अराजी के खाना काशत में दुरुस्त/दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 05-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

विवेक नेगी,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री गुरमीत जी0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहडू, जिला शिमला, हि0 प्र0

कु0 रितू पुत्री श्री नेगी राम, निवासी बरटू, तहसील रोहडू, जिला शिमला, हि0 प्र0 प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत।

इस कार्यालय में श्री नेगी राम, निवासी बरटू, तहसील रोहडू, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी पुत्री रितू का जन्म दिनांक 09-04-1992 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसका नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत सीमा के जन्म रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है तथा उसके नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सीमा को दिये जावे।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत सीमा में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का एतराज व उजर हो तो वे दिनांक 31-08-2016 को असालतन व वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करें। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि प्रार्थी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत सीमा में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 18-08-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

गुरमीत जी० नेगी,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रोहडू, जिला शिमला (हि० प्र०)।

**In the Court of Shri Gian Sagar Negi, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),
District Shimla (H. P.)**

Shri Ram Krishan *alias* Krishan Thakur, s/o Lt. Shri Surat Ram, r/o Village Majthai, P.O. Badheri, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

.. Respondent.

Whereas Shri Ram Krishan *alias* Krishan Thakur, s/o Lt. Shri Surat Ram, r/o Village Majthai, P.O. Badheri, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application along with affidavit in the court of undersigned under Section 13(3) of the Births & Deaths Registration Act, 1969 to enter date of birth of his daughter named—Ms. Preeti Thakur d/o Shri Ram Krishan *alias* Krishan Thakur, s/o Lt. Shri Surat Ram, r/o Village Majthai, P.O. Badheri, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Majthai, Shimla.

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of birth
1.	Ms. Preeti Thakur	Daughter	23-04-1989

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding date of birth of above named in the record of Gram Panchayat Majthai, Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 24-08-2016 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-
*Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla.*